रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 1972/ज्येष्ठ 22, 1894
No. 133] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 1972/JYAISTHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th June 1972

No. 15-ETC(PN)/72.—It has been decided not to allow export of "Molasses" and "Ethyl Alcohol or rectified spirit of any proof degree, whether denatured or not", till November 1972.

2. The above ban will not be applicable to exports to be made by the State Trading Corporation, which are authorised by Government.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 जून, 1972

सं० 15-ई०टी०सी० (पी०एन०)/72.—यह निश्चय किया गया है कि नवम्बर, 1972 तक "मोलासेस" तथा "इथिल अल्कोहल या किसी भी प्रमाणित डिगरी के परिशोधित स्प्रिट चाहे विकृत हों या नहीं" के निर्यात की स्वीकृति नहीं दी जाय ।

2. उपर्युक्त निषेध राज्य व्यापार निगम जो सरकार द्वारा प्राधिकृत है, उसके द्वारा किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972